भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1154

(दिनांक 14.12.2022 को उत्तर के लिए)

आंध्र प्रदेश में सीएटी पीठ

1154. श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) नहीं होने से कई याचिकाकर्ताओं को काफी असुविधा होती है क्योंकि उन्हें अपने विवादों के निपटारे के लिए तेलंगाना में हैदराबाद जाना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विशाखापत्तनम नई सीएटी पीठ के लिए एक स्थान आदर्श है क्योंकि इसमें केंद्र सरकार के कई कार्यालय हैं जिनमें कई सरकारी कर्मचारी काम करते हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश में कहीं और सीएटी पीठ की स्थापना पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) और (घ) : हैदराबाद में स्थित केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) की पीठ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पहले की तरह कार्य कर रही है।

*****